

कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)


क्रमांक / 15 / प्राटोकॉल / 2017

टीकमगढ़, दिनांक 10 / 04 / 2017

// निविदा आमंत्रण सूचना //

वर्ष 2017-18 हेतु टीकमगढ़ जिले में राज्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण के दौरान समय-समय भ्रमण/सुरक्षा व्यवस्था हेतु किराये पर महिन्द्रा (XUV) इनोवा, टवेरा, जाइलो, स्कार्पियो, टाटा सफारी, बुलेरो, हेतु प्रतिदिन किराये की दरें प्राप्त करने के आशय से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदायें दिनांक 10/04/2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 24.04.2017 को दोपहर 3.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, एवं निविदायें दिनांक 24/04/2017 को 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र www.tikamgarh.nic.in से Download किया जा सकता है।


कलेक्टर
जिला-टीकमगढ़

निविदा प्रपत्र

12/4
कमलेश

कार्यालय में निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि 10/04/2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 24/04/2017 को सायं 03.00 बजे तक (निविदा खोलने की तिथि 24/04/2017 सायं 04.00 बजे कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़)

1. आवेदक का नाम -
2. फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता -
3. दूरभाष नम्बर / मोबाईल नं० -
4. निविदाकार फर्म/एजेन्सी का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक -

व उस कार्यालय का नाम जहां उसका बैधानिक पंजीयन है।

क्र.	वाहन चार्ज	महिन्द्रा (xuv)	इनोवा	टाटा सफारी	जाइलो	स्कार्पियो	टवेरा	इंडिगो (डीजल)	बोलेरो (नॉन ए.सी.) डीजल रहित
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रु०/कि०मी०								
2.	10 घंटे के लिये अथवा 100 कि०मी०								
3.	05 घंटे के लिये अथवा 50 कि०मी०								
3.	रात्रि विश्राम								
4.	डे डिटेसन (रु./घण्टा)								

1. निविदाकार के कारोबार में वार्षिक चलित राशि का विवरण -
2. निविदाकार द्वारा फर्म/एजेन्सी का आज दिनांक तक भुगतान शासन को पूर्ण कर दिया है। यदि हां तो कर की अदेयता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. क्या किसी विधिक सक्षम न्यायालय में एजेन्सी निविदाकार के विरुद्ध कोई दावा या वाद ललित है। यदि हां तो पूर्ण विवरण दें। -
4. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि के बैंक ड्राफ्ट विवरण -
5. कार्य में अनुबंध हेतु निविदाकार द्वारा प्रस्तावित रु० (अंकों में/शब्दों में) -

दिनांक-.....

स्थान-.....


हस्ताक्षर आवेदक

नाम/सील.....

वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी हेतु सामान्य शर्तें

1. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी म0प्र0 के किसी भी जिले में परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बगैर पंजीयन के निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
2. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी का कम से कम दो वर्ष का शासकीय कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी का एक वर्ष में 10.00 लाख का टर्न ओवर होना एवं नियमानुसार सेवाकर/आयकर भुगतान किया जाना आवश्यक है, टर्न ओवर एवं सेवाकर/आयकर की प्रति संलग्न करें।
4. बगैर टैक्सी परमिट वाहन मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. वाहन प्रदाता को वाहन से संबंधित, बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर का वैध लाइसेंस (कमर्शियल/हैवी) इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी उसके लिये पूर्ण जिम्मेदार होगी।
6. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र (निविदा दर) का बंद लिफाफा एवं फर्म के चाहे गये अन्य दस्तावेज का लिफाफे के अंदर पृथक से संलग्न करना होगा। निविदा खोलने पर निविदा की दर कम होने पर फर्म के दस्तावेज का परीक्षण किया जावेगा।
7. वाहन का माडल वर्ष 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
8. वाहन पर नियुक्त ड्राइवर का वेतन, वाहन का मंटीनेंस, कॉमर्शियल परमिट आदि का व्यय वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी को स्वयं वहन करना होगा, एवं भुगतान की गई राशि पर शासन के नियमानुसार सर्विस टैक्स, आयकर जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
9. वाहन में हुई किसी तकनीकी खरबी के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है, तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की व्यवस्था तत्काल करना होगी।
10. वाहन के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा। यदि वाहन का उपयोग 10 घंटे या 100 कि.मी. की दूरी तय नहीं करता है, तो आधे दिवस का किराया देय होगा। यदि वाहन 10 घंटे से अधिक उपयोग में लाया जाता है, और 100 कि.मी. की दूरी तय नहीं करता है, तो डे-डिटेनशन (रु./घण्टा) के मान से एवं 100 कि.मी. से अधिक दूरी तय करता है, तो रु. /कि0मी0 के मान से या शासन के निर्देशों द्वारा किराया दिया जावेगा।
11. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन के खराब होने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा।
12. जिले में अतिथि के भ्रमण के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो एवं अतिथि की श्रेणी अनुसार बत्ती एवं फ्लैग सहित प्रदान करना होगा।
13. जिले में माननीय अतिथि के प्रवास के दौरान भ्रमण/सुरक्षा व्यवस्था हेतु वाहन कार्यालय द्वारा मॉग की जाने पर वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जाना होगा। विलम्ब की दशा में होने वाली परेशानी में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. जिले में माननीय अतिथि के प्रवास के दौरान भ्रमण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन की लॉग-बुक पर तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संबंधित विभाग प्रमुख प्रमुख से मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण कराना होगा।
15. प्रत्येक माह के बिल उसके अगले माह के सात दिवस के अंदर प्रस्तुत न करने पर बिलों (देयकों)के भुगतान की कार्यवाही कार्यालयीन बजट(आवंटन) के अनुसार की जावेगी, आवंटन उपलब्ध न होने पर बिलों के भुगतान में होने वाले विलंब के लिये कार्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में न्यायालय में चुनौती मान्य नहीं होगी।
16. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर टीकमगढ़ को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
17. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी का कार्यालय टीकमगढ़ मुख्यालय पर स्थित होना अनिवार्य है।
18. वाहन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर इसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है जो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी की होगी।
19. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रूप में राशि रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) की कलेक्टर टीकमगढ़ के नाम से एफ0डी0 निविदा के लिफाफे के ऊपर संलग्न करना होगी, जो अनुबंध समाप्ति पश्चात् नजारात शाखा टीकमगढ़ वाहन प्रदाता को वापिस योग्य होगी।
20. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग एजेन्सी द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाये जाने पर स्वयं जिम्मेवार होंगे। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही ही मान्य की जावेगी।
21. वाहन को किराये पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के बाद प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर वाहन प्रदाता को 100/- रुपये के स्टाम्प पर उक्त शर्तें लिखित में नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा की शर्तों के अलावा पृथक से कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
22. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार इस निविदा पर किया गया अनुबंध दिनांक 31मार्च 2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा आगामी निविदा दर स्वीकृत होने तक स्वीकृत दरों पर ही वाहन उपलब्ध कराना होगा।

प्रोपराईटर के हस्ताक्षर/फर्म की मुहर



प्रोपराईटर का नाम

प्रोपराईटर का स्थाई पता.....